



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 10 सितम्बर, 2011 ई० (भाद्र 19, 1933 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, खण्ड-क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख-नगर पंचायत,
खण्ड-ग-निराचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ-जिला पंचायत

24 अगस्त, 2011 ई०

सं० स्था०नि०सहा०/इक्कीस-1(2010-11)1925-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथासंशोधित 1994 की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विज्ञप्ति संख्या 857/इक्कीस-30(30-91)/2, दिनांक 03 मई, 1991 द्वारा स्वीकृत एवं उत्तर प्रदेश राजकीय गजट दिनांक 22 जून, 1991 में प्रकाशित तथा विज्ञप्ति संख्या एल०बी०सी०/इक्कीस-55(92-93)-2274, दिनांक 4 सितम्बर, 1997 द्वारा संशोधित एवं उ०प्र० राजकीय गजट दिनांक 11 अक्टूबर, 1997 तथा विज्ञप्ति संख्या स्था०नि०सहा०/इक्कीस-10(2002-2003)-1444, दिनांक 5 सितम्बर, 2005 द्वारा संशोधित एवं उ०प्र० राजकीय गजट 26 नवम्बर, 2005 में प्रकाशित बाराबंकी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न प्रकार की दुकानों आदि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत, बाराबंकी ने उपविधि में निम्नवत् पुनः संशोधन किया है, जिसकी पुष्टि आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ने उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत की है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 857/इक्कीस-30(30-31)2, दिनांक 03 मई, 1991 द्वारा स्वीकृत एवं उत्तर प्रदेश राजकीय गजट दिनांक 22 जून, 1991 में प्रकाशित तथा विज्ञप्ति संख्या एल०बी०सी०/इक्कीस-55(92-93)/2274, दिनांक 4 सितम्बर, 1997 द्वारा संशोधित एवं उ०प्र० राजकीय गजट दिनांक 11 अक्टूबर, 1997 तथा विज्ञप्ति संख्या स्था०नि०सहा०/इक्कीस-10(2002-2003)-1444, दिनांक 5 सितम्बर, 2005 द्वारा संशोधित एवं उ०प्र० राजकीय गजट 26 नवम्बर, 2005 में प्रकाशित बाराबंकी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न प्रकार की दुकानों आदि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत, बाराबंकी ने उपविधि में निम्नवत् पुनः संशोधन किया है। विज्ञप्ति का पूर्व प्रकाशन किया जा चुका है, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः प्रस्तावित संशोधन की पुष्टि उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाती है, जो गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

पूर्व स्वीकृत एवं संशोधित उपविधियों की निम्नलिखित संशोधित धारा 2 की तालिका के स्थान पर उनके सम्मुख लिखित संशोधित धारा 2 की तालिका मानी जाय-

पूर्व स्वीकृत नियम संख्या 2 (तालिका)

संशोधित नियम संख्या 2 (तालिका)

क्र०सं०	नाम व्यवसाय	लाइसेन्स शुल्क की दरें	क्र०सं०	नाम व्यवसाय	लाइसेन्स शुल्क की दरें
1	2	3	1	2	3
		रु०			रु०
01	कपड़े की दुकान	150.00	01	कपड़े की दुकान	250.00
02	कपड़े की फेरी की दुकान	75.00	02	कपड़े की फेरी की दुकान	120.00
03	परचून की दुकान	75.00	03	परचून की दुकान	120.00
04	कपड़ा, परचून आदि की सम्मिलित दुकान	175.00	04	कपड़ा, परचून आदि की सम्मिलित दुकान	300.00
05	गल्ले किराने की बड़ी दुकान जिसमें गल्ला 10 कुन्तल या उससे अधिक हो	200.00	05	गल्ले किसान की बड़ी दुकान जिसमें गल्ला 10 कुन्तल या उससे अधिक हो	300.00
06	सोने चांदी के आभूषण बनाने वाली दुकान	100.00	06	सोने चांदी के आभूषण बनाने वाली दुकान	150.00
07	सोने चांदी की बड़ी दुकान	200.00	07	सोने चांदी की बड़ी दुकान	300.00
08	मेडिकल स्टोर (दवा)	150.00	08	मेडिकल स्टोर (दवा)	250.00
09	मेडिकल प्रैक्टिस	90.00	09	मेडिकल प्रैक्टिस	150.00
10	प्रत्येक होटल व मीठा की दुकान	100.00	10	प्रत्येक होटल व मीठा की दुकान	150.00
11	लोहे की दुकान	200.00	11	लोहे की दुकान	300.00
12	चाय की दुकान	25.00	12	चाय की दुकान	40.00
13	चाय, पान की सम्मिलित दुकान	30.00	13	चाय, पान की सम्मिलित दुकान	50.00
14	घी, डालडा, तेल की दुकान	200.00	14	घी, डालडा, तेल की दुकान	300.00
15	गल्ला या किराना की फुटकर दुकान	75.00	15	गल्ला या किराना की दुकान	120.00
16	जनरल स्टोर या विशातखाने की दुकान	100.00	16	जनरल स्टोर या विशातखाने की दुकान	150.00

रिजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश

1	2 -	3	1	2	3
		रु०			रु०
17	विशातखाने फेरी की दुकान	30.00	17	विशातखाने फेरी की दुकान	50.00
18	ईंधन जलाने वाले कोयले की दुकान	75.00	18	ईंधन जलाने वाले कोयले की दुकान	120.00
19	जूते चप्पल बेचने की दुकान	75.00	19	जूते चप्पल बेचने की दुकान	120.00
20	जूते चप्पल बनाने की दुकान	75.00	20	जूते चप्पल बनाने की दुकान	120.00
21	बिना आरामशीन लकड़ी की दुकान	75.00	21	बिना आरामशीन लकड़ी की दुकान	120.00
22	फर्नीचर बनाने का कारखाना	100.00	22	फर्नीचर बनाने का कारखाना	150.00
23	फल की दुकान	25.00	23	फल की दुकान	40.00
24	सब्जी की स्थायी दुकान	25.00	24	सब्जी की स्थायी दुकान	40.00
25	टेपरिकार्डर, टी0वी0 या उसके पाटर्स बेचने अथवा इलेक्ट्रानिक सामान की दुकान	100.00	25	टेपरिकार्डर, टी0वी0 या उसके पाटर्स बेचने अथवा इलेक्ट्रानिक सामान की दुकान	150.00
26	घड़ी, रेडियो, बिजली का सामान बेचने की दुकान	40.00	26	घड़ी, रेडियो, बिजली का सामान बेचने की दुकान	60.00
27	घड़ी, रेडियो, टेपरिकार्डर, टी0वी0 मरम्मत की दुकान	40.00	27	घड़ी, रेडियो, टेपरिकार्डर, टी0वी0 मरम्मत की दुकान	60.00
28	चूड़ी बेचने की दुकान	25.00	28	चूड़ी बेचने की दुकान	40.00
29	स्टेशनरी की दुकान	40.00	29	स्टेशनरी की दुकान	60.00
30	आटो स्पेयरस पाटर्स की दुकान	100.00	30	आटो स्पेयरस पाटर्स की दुकान	150.00
31	साइकिल या उसके पाटर्स की दुकान	40.00	31	साइकिल या उसके पाटर्स की दुकान	60.00
32	मोटर, ट्रक, बस, जीप, कार आदि की मरम्मत की दुकान	100.00	32	मोटर, ट्रक, बस, जीप, कार आदि की मरम्मत की दुकान	150.00
33	मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत की दुकान	100.00	33	मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत की दुकान	150.00
34	ट्रैक्टर मरम्मत की दुकान	100.00	34	ट्रैक्टर मरम्मत की दुकान	150.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, वाराणसी

1	2	3	1	2	3
		₹0			₹0
35	पम्प एवं डायनमो के मरम्मत की दुकान	75.00	35	पम्प एवं डायनमो के मरम्मत की दुकान	120.00
36	टायर द्यूब मरम्मत की दुकान	25.00	36	टायर द्यूब मरम्मत की दुकान	40.00
37	कच्चाड़ी की दुकान	25.00	37	कच्चाड़ी की दुकान	40.00
38	इंजीनियरिंग की दुकान	100.00	38	इंजीनियरिंग की दुकान	150.00
39	रसायन खाद की दुकान	100.00	39	रसायन खाद की दुकान	150.00
40	कृषि बीज एवं दवाओं की दुकान	40.00	40	कृषि बीज एवं दवाओं की दुकान	60.00
41	बरतन की दुकान	100.00	41	बरतन की दुकान	150.00
42	बरतन फेरी की दुकान	30.00	42	बरतन फेरी की दुकान	50.00
43	सीमेन्ट की दुकान	100.00	43	सीमेन्ट की दुकान	150.00
44	सीमेन्ट के सामान जैसे—जालीनाट पाइप आदि बेचने या बनाने की दुकान	100.00	44	सीमेन्ट के सामान जैसे—जालीनाट पाइप आदि बेचने की दुकान	150.00
45	मोरंग, बालू, घूना बेचने की दुकान	100.00	45	मोरंग, बालू, घूना बेचने की दुकान	150.00
46	टिम्बर की दुकान	175.00	46	टिम्बर की दुकान	300.00
47	गल्ले की आड़त	200.00	47	गल्ले की आड़त	300.00
48	लोहे की आलमारी, बक्शा, ट्राली श्रेशर आदि बनाने का व्यवसाय	200.00	48	लोहे की आलमारी, बक्शा, ट्राली श्रेशर आदि बनाने की दुकान	300.00
49	गैस एजेन्सी	150.00	49	गैस एजेन्सी	250.00
50	पावरलूम	75.00	50	पावरलूम	120.00
51	डीजल/मो० आयल आदि की दुकान	100.00	51	डीजल/मो० आयल आदि की दुकान	150.00
52	कपड़ा सिलाई की स्थाई दुकान	40.00	52	कपड़ा सिलाई की स्थाई दुकान	60.00
53	नल बोरिंग की दुकान	40.00	53	नल बोरिंग	60.00
54	बैट्री मरम्मत, चार्जिंग बेचने की दुकान	40.00	54	बैट्री मरम्मत, चार्जिंग बेचने की दुकान	60.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बाराबंकी

1	2	3	1	2	3
		रु०			रु०
55	वार्निश, पेंट आदि बेचने की दुकान	40.00	55	वार्निश, पेंट बेचने की दुकान	60.00
56	मिट्टी के तेल की दुकान	25.00	56	मिट्टी के तेल की दुकान	40.00
57	सरकारी सस्ते गल्ले, तेल की दुकान (शक्कर व मिट्टी का तेल)	100.00	57	सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	150.00
58	शराब बिक्री की दुकान	200.00	58	शराब बिक्री की दुकान	300.00
59	पम्पिंग सेट इंजन बिक्री	200.00	59	पम्पिंग सेट इंजन बिक्री	300.00
60	टेन्ट हाउस	100.00	60	टेन्ट हाउस	150.00
61	लांझी की दुकान	40.00	61	लांझी की दुकान	60.00
62	सैलून की स्थाई दुकान	35.00	62	सैलून की स्थाई दुकान	60.00
63	फोटो फ्रेमिंग एवं फोटो खींचने की दुकान	40.00	63	फोटो फ्रेमिंग एवं फोटो खींचने की दुकान	60.00
64	पेयजल पदार्थ जैसे लस्सी, शरबत आदि की दुकान	25.00	64	पेयजल पदार्थ जैसे लस्सी, शरबत आदि की दुकान	40.00
65	बिस्कुट, डबलरोटी आदि बेचने की दुकान	25.00	65	बिस्कुट, डबलरोटी आदि बेचने की दुकान	40.00
66	वस्त्र, रंगाई, छपाई की दुकान	35.00	66	वस्त्र, रंगाई, छपाई की दुकान	60.00
67	डेन्टिंग/पेन्टिंग की दुकान	40.00	67	डेन्टिंग/पेन्टिंग की दुकान	60.00
68	प्रिंटिंग प्रेस	75.00	68	प्रिंटिंग प्रेस	150.00
69	लोहे, गिलट के आभूषण आदि की दुकान	35.00	69	लोहे, गिलट के आभूषण आदि की दुकान	60.00
70	रस्सी या रूई की दुकान	25.00	70	रस्सी या रूई की दुकान	40.00
71	बांस, बल्ली, लट्ठों व लाठी विक्रय की दुकान	25.00	71	बांस बल्ली, लट्ठों व लाठी विक्रय की दुकान	40.00
72	अण्डा बेचना	25.00	72	अण्डा बेचना	40.00
73	बेल्डिंग की दुकान	40.00	73	बेल्डिंग की दुकान	60.00
74	खोया उत्पादन	25.00	74	खोया उत्पादन	40.00
75	खोया या दूध विक्रेता	40.00	75	खोया या दूध विक्रेता	60.00
76	क्राकरी की दुकान	40.00	76	क्राकरी की दुकान	60.00
77	आतिशबाजी बनाना/बेचने की दुकान	35.00	77	आतिशबाजी बनाना/बेचने की दुकान	60.00
78	तम्बाकू व्यवसाय	40.00	78	तम्बाकू व्यवसाय	60.00
79	पेट्रोल/डीजल पम्प	1,500.00	79	पेट्रोल/डीजल पम्प	2,500.00
80	सिनेमा स्थाई	1,200.00	80	सिनेमा स्थाई	2,000.00
81	सिनेमा अस्थायी	300.00	81	सिनेमा अस्थायी	500.00
82	अन्य व्यवसाय दुकान	50.00	82	अन्य व्यवसाय दुकान	150.00

अपर मुख्य अधिकारी
विशेष संयोजक, बाराबंकी

27 अगस्त, 2011 ई०

सं० स्था०नि०सहा०/इक्कीस-1(2010-11)1950-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथासंशोधित 1994 की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विज्ञप्ति संख्या 1277/इक्कीस-49(91-92)/3, दिनांक 03 सितम्बर, 1992 द्वारा स्वीकृत एवं उत्तर प्रदेश राजकीय गजट दिनांक 20 फरवरी, 1993 में प्रकाशित तथा विज्ञप्ति संख्या स्था०नि०सहा०/इक्कीस-48(91-92)-815, दिनांक 4 मार्च, 2003 द्वारा संशोधित एवं उ०प्र० राजकीय गजट दिनांक 3 मई, 2003 में प्रकाशित बाराबंकी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के ईट भट्टा उपविधि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत, बाराबंकी ने उपविधि में निम्नवत् पुनः संशोधन किया है, जिसकी पुष्टि आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ने उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत की है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 1277/इक्कीस-48(91-92)3, दिनांक 03 सितम्बर, 1992 द्वारा स्वीकृत एवं उत्तर प्रदेश राजकीय गजट दिनांक 20 फरवरी, 1993 में प्रकाशित तथा विज्ञप्ति संख्या स्था०नि०सहा०/इक्कीस-48(91-92)-815, दिनांक 4 मार्च, 2003 द्वारा संशोधित एवं उ०प्र० राजकीय गजट दिनांक 3 मई, 2003 में प्रकाशित बाराबंकी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के ईट भट्टा उपविधि में निम्नवत् पुनः संशोधन किया है। विज्ञप्ति का पूर्व प्रकाशन किया जा चुका है, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः प्रस्तावित संशोधन की पुष्टि उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाती है, जो गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

पूर्व स्वीकृत एवं संशोधित उपविधियों की निम्नलिखित धारा 8 (आंशिक खण्ड) की तालिका के स्थान पर उनके सम्मुख लिखित संशोधित धारा 8 की तालिका मानी जाय-

पूर्व स्वीकृत नियम संख्या 8 (आंशिक खण्ड)	संशोधित नियम संख्या 8 (आंशिक खण्ड)
दरें (रुपये में)	दरें (रुपये में)
फिक्स चिमनी की लाइसेंस फीस रु० 5,000 तथा लोहे की चिमनी रु० 2,500 वार्षिक	फिक्स चिमनी ईट भट्टे की लाइसेंस फीस रु० 8,000 वार्षिक।

1 सितम्बर, 2011 ई०

सं० स्था०नि०सहा०/इक्कीस-1(2010-11)1990-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथासंशोधित 1994 की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विज्ञप्ति संख्या 858/इक्कीस-26(90-91)/2, दिनांक 03 मई, 1991 द्वारा स्वीकृत एवं उत्तर प्रदेश राजकीय गजट दिनांक 22 जून, 1991 में प्रकाशित तथा विज्ञप्ति संख्या एल०बी०सी०/द्वितीय-55(92-93)-1210, दिनांक 5 सितम्बर, 1995 द्वारा संशोधित एवं उ०प्र० राजकीय गजट दिनांक 28 अक्टूबर, 1995 में प्रकाशित तथा विज्ञप्ति संख्या स्था०नि०सहा०/इक्कीस-8(2002-2003)-1445, दिनांक 5 सितम्बर, 2005 द्वारा संशोधित एवं उ०प्र० राजकीय गजट 26 नवम्बर, 2005 में प्रकाशित बाराबंकी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों आदि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत, बाराबंकी ने उपविधि में निम्नवत् पुनः संशोधन किया है, जिसकी पुष्टि आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ने उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत की है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 858/इक्कीस-26(90-91)2, दिनांक 03 मई, 1991 द्वारा स्वीकृत एवं उत्तर प्रदेश राजकीय गजट दिनांक 22 जून, 1991 में प्रकाशित तथा विज्ञप्ति संख्या एल०बी०सी०-द्वितीय/55(92-93)/1210, दिनांक 5 सितम्बर, 1995 द्वारा संशोधित एवं उ०प्र० राजकीय गजट दिनांक 28 अक्टूबर, 1995 में प्रकाशित तथा विज्ञप्ति संख्या स्था०नि०सहा०/इक्कीस-8(2002-2003)-1445, दिनांक 5 सितम्बर, 2005 द्वारा संशोधित एवं उ०प्र० राजकीय गजट 26 नवम्बर, 2005 में प्रकाशित बाराबंकी

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बाराबंकी

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों आदि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत, बाराबंकी ने उपविधि में निम्नवत् पुनः संशोधन किया है। विज्ञप्ति का पूर्व प्रकाशन किया जा चुका है, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः प्रस्तावित संशोधन की पुष्टि उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाती है, जो गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

पूर्व स्वीकृत एवं संशोधित उपविधियों की निम्नलिखित संशोधित धारा 8 के स्थान पर उनके सम्मुख लिखित संशोधित धारा 8 मानी जाय—

पूर्व स्वीकृत नियम संख्या 8 (तालिका)

संशोधित नियम संख्या 8 (तालिका)

क्र०सं०	विवरण फैक्ट्री	लाइसेन्स शुल्क की दरें	क्र०सं०	विवरण फैक्ट्री	लाइसेन्स शुल्क की दरें
1	2	3	1	2	3
		रु०			रु०
01	हयूम पाईप अथवा स्टील रोलिंग पाईप इण्डस्ट्रीज	5,000.00	01	हयूम पाईप अथवा स्टील रोलिंग पाईप इण्डस्ट्रीज	8,000.00
02	सरिया बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	5,000.00	02	सरिया बनाने का कारखाना	8,000.00
03	पंखा/सिलाई मशीन बनाने का कारखाना	2,000.00	03	पंखा/सिलाई मशीन बनाने का कारखाना	3,000.00
04	जूट, सन, प्लास्टिक, नाइलोन की वस्तुएं बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	1,000.00	04	जूट, सन, प्लास्टिक, नाइलोन की वस्तुएं बनाने का कारखाना	2,000.00
05	गैस भरने की फैक्ट्री	2,000.00	05	गैस भरने की फैक्ट्री	3,000.00
06	आइस फैक्ट्री	1,000.00	06	आइस फैक्ट्री	2,000.00
07	कोल्ड स्टोरेज	5,000.00	07	कोल्ड स्टोरेज	8,000.00
08	दवा की फैक्ट्री (केमिकल्स)	3,000.00	08	दवा की फैक्ट्री (केमिकल्स)	5,000.00
09	खाद्य तेल अथवा दाल मिल	1,200.00	09	खाद्य तेल अथवा दाल मिल	2,000.00
10	खाण्डसारी अथवा छोटे पैमाने पर चीनी का कारखाना	2,000.00	10	खाण्डसारी अथवा छोटे पैमाने पर चीनी का कारखाना	3,000.00
11-अ	राइस मिल अथवा पलोर मिल	3,000.00	11-अ	राइस मिल अथवा पलोर मिल	5,000.00
11-ब	पालेसर	1,500.00	11-ब	पालेसर	2,000.00
12	चीनी मिल	5,000.00	12	चीनी मिल	8,000.00
13	ईंट/पत्थर की रोड़ी तोड़ने व पीसने की मशीन	1,000.00	13	ईंट/पत्थर की रोड़ी तोड़ने व पीसने की मशीन	1,500.00

अपर मुख्याधिकारी
जिला पंचायत, बाराबंकी

1	2	3	1	2	3
		रु०			रु०
14-अ	अन्य बड़े पैमाने का कारखाना रु० पांच लाख से अधिक पूंजी से संचालित/स्थापित	5,000.00	14-अ	अन्य बड़े पैमाने का कारखाना रु० पांच लाख से अधिक पूंजी से संचालित/स्थापित	8,000.00
14-ब	अन्य बड़े पैमाने का कारखाना रु० पांच लाख से कम पूंजी से संचालित/स्थापित	2,000.00	14-ब	अन्य बड़े पैमाने का कारखाना रु० पांच लाख से कम पूंजी से संचालित/स्थापित	3,000.00
			15	मोबाईल टावर	5,000.00
			16	सभी प्रकार की मोटर एजेंन्सी	2,000.00
			17	सभी प्रकार के गोदाम—	
			अ	बड़े गोदाम (रु० 5 लाख के सामान से अधिक)	5,000.00
			ब	छोटे गोदाम (रु० 5 लाख के सामान से कम)	2,000.00
			18	कागजात एवं सामान्य आदि की एजेंन्सी	5,000.00

मधुसूदन रायजादा,
आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बाराबंकी

पूर्व स्वीकृत एवं संशोधित उपविधियों की निम्नलिखित संशोधित धारा 3 के स्थान पर उनके सम्मुख, लिखित संशोधित धारा 3 की तालिका मानी जाय-

पूर्व स्वीकृत नियम संख्या 3 (तालिका)

संशोधित नियम संख्या 3 (तालिका)

क्र०सं०	नाम व्यवसाय	लाइसेन्स शुल्क की दरें	क्र०सं०	नाम व्यवसाय	लाइसेन्स शुल्क की दरें
1	2	3	1	2	3
		रु०			रु०
01	आटा चक्की	150.00	01	आटा चक्की	250.00
02	तेल पेरने की मशीन / (स्पेलर)	150.00	02	तेल पेरने की मशीन / (स्पेलर)	250.00
03	धान मशीन	150.00	03	धान मशीन	250.00
04	संयुक्त व्यवसाय (आटा चक्की, धान मशीन व स्पेलर)	300.00	04	संयुक्त व्यवसाय (आटा चक्की, धान मशीन व स्पेलर)	500.00
05	आरा मशीन केवल चिराई	200.00	05	आरा मशीन केवल चिराई	300.00
06	ऐसी कोई भी मशीन जिससे खाने पीने की कोई भी वस्तु कूटी व पिंसी जा सकती है।	150.00	06	ऐसी कोई भी मशीन जिससे खाने पीने की कोई भी वस्तु कूटी व पिंसी जा सकती है।	250.00
07	आरा मशीन मय लकड़ी चिराई	350.00	07	आरा मशीन मय लकड़ी चिराई	500.00
08	क्रेन, क्रेसर, कोल्हू (अ) एक कराही के साथ एक कराही के पश्चात् (ब) प्रत्येक कराही अतिरिक्त	175.00 100.00	08	क्रेन, क्रेसर, कोल्हू (अ) एक कराही के साथ एक कराही के पश्चात् (ब) प्रत्येक कराही अतिरिक्त	300.00 150.00
09	आइसक्रीम बनाने की मशीन	175.00	09	आइसक्रीम बनाने की मशीन	300.00
10	खराद मशीन	100.00	10	खराद मशीन	150.00
11	रुई मशीन	100.00	11	रुई मशीन	150.00
12	चूरा मशीन	100.00	12	चूरा मशीन	150.00
13	साबुन बनाने की इकाई	150.00	13	साबुन बनाने की इकाई	250.00
14	धर्मकांटा	350.00	14	धर्मकांटा	550.00

मधुसूदन रायजादा,
आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बाराबंकी



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 3 अक्टूबर, 2020 ई० (आश्विन 11, 1942 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख-नगर पंचायत,
खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ-जिला पंचायत

19 अगस्त, 2020 ई०

सं० स्था०नि०सहा०/इक्कीस-1(2013-14)564-उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 जो उ०प्र० पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम सन् 1994 द्वारा संशोधित है, की धारा 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत बाराबंकी शासन स्तर से प्रेषित मॉडल बाईलाज के अनुसार जिला पंचायत क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लाइसेंस फीस की दरों में किये गये संशोधन को नियंत्रित व विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधि बनाई गयी है। मेरे द्वारा उक्त उपविधि की पुष्टि कर दी गयी है एवं उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) 1994 की धारा 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत बाराबंकी ने आयुक्त महोदय के स्वीकृत एवं राजकीय गजट दिनांक 22 जून, 1991 एवं गजट दिनांक 11 अक्टूबर, 1997 एवं उ०प्र० राजकीय गजट दिनांक 26 नवम्बर, 2005 तथा 10 सितम्बर, 2011 में प्रकाशित बाराबंकी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कारखाना एवं फैक्ट्रियों आदि को नियंत्रित विसनियमित करने हेतु प्रचलित उपविधियों की लाइसेंस फीस दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से पंचायत राज अनु०-02 उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश सं० 1152/33-2-201-62जी/2017, दिनांक 04-04-2018 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में पूर्व प्रचलित उपविधियों में संशोधन/परिवर्धन किया गया है। जिसकी पुष्टि जिला पंचायत की बैठक दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के प्रस्ताव सं०-08 द्वारा कर दी गयी है। पारित प्रस्ताव के क्रम में हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र राष्ट्रीय सहारा के अंक 02 अगस्त, 2019 हिन्दुस्तान के अंक 02 अगस्त, 2019 एवं अपना अखबार के अंक 18 अगस्त, 2019 में संशोधित उपविधि का प्रकाशित कराकर जनसामान्य से

आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। निर्धारित तिथि तक प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों को समेकित करते हुए संशोधित उपविधि को जिला पंचायत की सामान्य बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2020 के प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा स्वीकृतार्थ रखा गया। जिसे सर्वसम्मति से सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1981 की धारा 242(2) के अनुसार आयुक्त महोदय अयोध्या मण्डल अयोध्या के अनुमोदन/स्वीकृति के पश्चात् राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से संशोधित दरें/उपविधि प्रभावी हो जायेगी।

उप नियम

1-यह उपविधि जिला पंचायत, बाराबंकी के ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योगों से लाइसेंस शुल्क से सम्बन्धित उपविधि कहलायेगी।

2-यह उपविधि जिला पंचायत बाराबंकी के समस्त ग्रामीण अंचल की वर्तमान और भविष्य में लगने वाले चलने वाले विभिन्न प्रकार के उद्योगों को नियंत्रित करेगी।

3-चिमनी ईट भट्ठा लाइसेंस की अवधि प्रत्येक वर्ष 01 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक होगी।

4-चिमनी ईट भट्ठा को छोड़कर विभिन्न प्रकार के उद्योगों की लाइसेंस की अवधि एक वर्ष की होगी जो कि दिनांक 01 अप्रैल को प्रारम्भ होगी तथा 31 मार्च को समाप्त होगी।

5-फैक्ट्री, कारखाना, मिल मशीनें, प्लांट आदि जो विज्ञप्ति सं0 1882/21-ए-33(99-2000) दिनांक 31 जनवरी, 2005 जो उ0प्र0 राजकीय गजट 26 फरवरी, 2005 में प्रकाशित तथा चिमनी ईट भट्ठा आदि 1351/21ए-18-(95-96), दिनांक 01 मई, 2002 एवं उ0प्र0 राजकीय गजट 31 अगस्त, 2002 द्वारा प्रकाशित है, में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परिभाषायें एवं उपनियम यथावत् लागू होंगे।

5-मिल/कारखाना/ईट भट्ठा/फैक्ट्री आदि उपविधियों की लाइसेंस फीस की संशोधित दरों का विवरण प्रचलित दरें -

क्र0सं0	मद/व्यवसाय/कारखाने का नाम	संशोधित लाइसेंस शुल्क
1	2	3
		रु0
1	चीनी मिल	50,000.00
2	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
3	क्रेशर नान हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
4	क्रेशर नान हाईड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन	2,500.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	400.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	1,000.00
7	हस्त चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	300.00
9	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	2,500.00
10	एक्सपेलर	500.00
11	आरा मशीन	2,000.00

1	2	3
		₹०
12	खराद मशीन	1,000.00
13	पावर लूम (प्रत्येक)	1,000.00
14	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	4,000.00
15	सरिया बनाने का कारखाना	15,000.00
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	5,000.00
17	बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	2,000.00
18	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	4,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	7,000.00
20	पेपर कॉन बनाने का कारखाना	4,000.00
21	पेपर रोल बनाने का कारखाना	8,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	15,000.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	10,000.00
27	चिलिंग प्लांट	8,000.00
28	स्टील, आयरन आदि से पाईप बनाने का कारखाना (2 इंच मोटाई तक)	25,000.00
29	स्टील, आयरन आदि से पाईप बनाने का कारखाना (2 इंच मोटाई से अधिक)	50,000.00
30	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	7,000.00
31	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50,000 बैग तक)	10,000.00
32	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50,000 बैग से अधिक क्षमता तक)	15,000.00
33	पिक्चर द्यूब बनाने का कारखाना	5,000.00
34	हाट मिक्स प्लांट	10,000.00
35	रबड़ की वस्तुयें बनाने का कारखाना	2,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का छोटा कारखाना	2,000.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का बड़ा कारखाना	7,000.00
38	मसाले की ईट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	8,000.00
39	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशा, तांबा व टीन आदि से वस्तुयें बनाना	4,000.00
40	वनस्पति/देशी घी या रिफाइनड आयल बनाने का कारखाना	15,000.00
41	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	50,000.00

1	2	3
		रु0
42	कृषि सम्बन्धित यंत्र बनाने का कारखाना	4,000.00
43	फर्टिलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	10,000.00
44	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	5,000.00
45	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	4,000.00
46	प्लास्टिक के पाईप, टैंक बनाने का कारखाना	7,000.00
47	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	4,000.00
48	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	2,000.00
49	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	8,000.00
50	सीमेंट बनाने का कारखाना	10,000.00
51	पत्तोर मिल	10,000.00
52	दाल मिल	5,000.00
53	रिईनफोर्सड, सीमेंट कंकरीट आदि के ह्यूम पाईप बनाने का कारखाना	10,000.00
54	टेलीविजन बनाने का कारखाना	10,000.00
55	गाधिस बनाने का कारखाना	10,000.00
56	बटन बनाने का कारखाना	6,000.00
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	3,000.00
58	विनियर एण्ड शो मिल	7,000.00
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	50,000.00
60	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	15,000.00
61	साफिट बनाने का कारखाना	5,000.00
62	प्लाईवुड या माइका बनाने का कारखाना	10,000.00
63	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	3,000.00
64	दवाई बनाने का कारखाना	7,000.00
65	लेमिनेशन बनाने का कारखाना	5,000.00
66	दूध पैकेजिंग बनाने का कारखाना	6,000.00
67	केमिकल बनाने का कारखाना	8,000.00
68	डबल रोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	5,000.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
70	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना	8,000.00
71	बेल्डिंग राइस बनाने का कारखाना	6,000.00
72	पीतल की राइस बनाने का कारखाना	6,000.00
73	ढलाई करने का कारखाना	6,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बाराबंकी

1

2

74	स्टील आलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
75	पशु आहार बनाने का कारखाना	4,000.00
76	धागा बनाने का कारखाना	7,000.00
77	धागा डबलिंग का कारखाना	7,000.00
78	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	2,000.00
79	साबुन बनाने का कारखाना	7,000.00
80	डिटर्जेंट बनाने का कारखाना	3,000.00
81	पदार्थ बनाने का कारखाना	7,000.00
82	कगानी पदार्थ बनाने का कारखाना	15,000.00
83	रबड़ के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना	4,000.00
84	टायर रिट्रेडिंग	10,000.00
85	तिरपाल बनाने का कारखाना	10,000.00
86	आतिशबाजी सम्बन्धी सामान बनाने का कारखाना	5,000.00
87	ग्रीस, मोबिल, आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	1,00,000.00
88	चार पहिया बनाने का कारखाना	50,000.00
89	दो पहिया बनाने का कारखाना	15,000.00
90	तार बनाने का कारखाना	3,500.00
91	तार की जाली बनाने का कारखाना	3,000.00
92	लालटेन बनाने का कारखाना	4,000.00
93	रेगमाल बनाने का कारखाना	5,000.00
94	बैट्री बनाने का कारखाना	5,000.00
95	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	5,000.00
96	रंग बनाने का कारखाना	4,000.00
97	गम, टेप बनाने का कारखाना	5,000.00
98	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना	5,000.00
99	निकिल पालिस (प्लेटिंग) करने का कारखाना	5,000.00
100	रंगा बनाने का कारखाना	5,000.00
101	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	25,000.00
102	हड्डी मिल	5,000.00
103	सरेस मिल	4,000.00
104	पेट्रोल मिल	5,000.00
105	डीजल मिल	

अपर मुख्य अधिकारी
वि. प्रशासन, वाराणसी

1	2	3
		रु०
106	गैस बाटलिंग प्लाण्ट	
107	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	25,000.00
108	प्रिंटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	2,000.00
109	सिनेमा हाल	2,500.00
110	विडियो, सिनेमा हाल	4,000.00
111	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री	2,500.00
112	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	3,000.00
113	रेडिमेड गारमेंट्स बनाने का कारखाना	10,000.00
114	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	15,000.00
115	स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट	15,000.00
116	ट्रान्सफार्मर बनाने की फैक्ट्री	1,00,000.00
117	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	20,000.00
118	एयर कण्डीशनर बनाने का कारखाना	15,000.00
119	जूट, सन व नायलान बनाने का कारखाना	10,000.00
120	शीशा बनाने का कारखाना	5,000.00
121	पिपरमिट बनाने का कारखाना	3,000.00
122	चमड़ा टेनरी का कारखाना	2,000.00
123	जैदिक कारखाना	25,000.00
124	फिक्स चिमनी ईट बढ़ा (20 पाये तक)	5,000.00
125	फिक्स चिमनी ईट बढ़ा (20 पाये से अधिक)	10,000.00
126	स्टोन क्रेशर	15,000.00
127	सूक्ष्म कुटीर उद्योग (लागत 25 लाख तक)	5,000.00
128	लघु उद्योग (लागत 25 लाख से 5 करोड़ तक)	20,000.00
129	मध्यम उद्योग (लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक)	50,000.00
130	भारी उद्योग (लागत 10 करोड़ से अधिक)	1,00,000.00

दण्ड

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथासंशोधित 1994 की धारा 240 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, बाराबंकी निर्देश देती है कि उपरोक्त किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अंकन रु० 1,000.00 (एक हजार रुपये) तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद प्रत्येक ऐसे दिवस के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहा है तो अंकन रु० 50.00 (पचास रुपये) प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड किया जा सकता है और अर्थदण्ड जमा न होने पर तीन मास का कारावास का भी दण्ड किया जा सकता है।

एम० पी० अग्रवाल,
आयुक्त,
अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

पी०एस०यू०पी०-27 हिन्दी गजट-भाग 3-2020 ई०।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बाराबंकी